an>

Title: Regarding non-release of funds under Mahatma Gandhi Rashtriya Rojgar Yojana.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही संवेदनशील मामले पर एक बार फिर से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह एक नवम्बर को हरियाणा के नारनौल में एक नौ साल की बच्ची के साथ हुई घटना के बारे में है।

माननीय अध्यक्ष : आपने मनरेगा के संबंध में नोटिस दिया था। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में बोल सकती हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन : मैं उसी विषय पर बोल देती हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि मनरेगा की स्कीम, जो कई मज़दूरों के पलायन को रोकने का काम करती थी। यू.पी.ए. सरकार ने मज़दूरों के पलायन को रोकने और गाँव के बेरोज़गार युवकों को रोज़गार देने के लिए यह योजना चलायी थी। मई महीने से उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। उसके कारण बिहार में पलायन के संख्या 50 हजार तक पहुंच गयी थी। सिर्फ कोसी रेंज से चार लाख मज़दूर दोबारा पलायन के लिए मज़बूर हुए हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक तो योजनाओं को रोक दिया गया है, इंटरलॉकिंग की योजना थी, पेड़ लगाने की योजना थी, शौचालय बनाने की योजना थी। एक तरफ सरकार शौचालय बनाने की बात कह रही है लेकिन मनरेगा की पेमेंट न होने के कारण पी.एस.जी. का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन शौचालय नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ, मैं सरकार का ध्यान सिर्फ इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि आप जो दूसरी स्कीमें लाएंगे, वह एक दूसरी बात है। लेकिन तब तक किस कारण से मई महीने से उन मज़दूरों की पेमेंट रोकी गयी है, जो पाँच महीने काम कर चुके हैं। क्या जल्द से जल्द सरकार उनकी पेमेंट की राशि मुहैया करएगी?

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती वीणा देवी -उपस्थित नहीं।